



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखंड

ऑडिट भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

फोन- (0135)-2970866, 2970867, फैक्स- (0135)-2970859, 2970865

Email : agaeuttarakhand@cag.gov.in, Website : www.agua.cag.gov.in



पत्रांक: 197/प्रशा0-II/ए0जी0यू0के0(ले0एवंहक0)/विविध/2025-26/I/967579/2025
दिनांक:07-05-2025

एडवाइजरी

इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि खंडीय लेखाकार संवर्ग के कुछ कार्मिक प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले अचल संपत्ति विवरणी (Immovable Property Return-IPR) में ऐसी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अर्जित की गई हैं, जिसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली [CCS (Conduct) Rules] में उल्लेखित नियमों के आलोक में अत्यंत गंभीरता से लिया गया है।

अतः सभी खंडीय लेखाधिकारी/लेखाकार संवर्ग के कार्मिकों को यह परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में अचल संपत्ति के क्रय/विक्रय से पूर्व इस कार्यालय की अनुमति प्रचलित नियमों के अनुरूप लेना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध CCS (Conduct) Rules के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

ADVISORY

It has come to the notice of this office that in the details of property furnished by officials of DAO/DA cadre in Immovable Property Returns every year, the details of such properties which are acquired without the proper approval of the competent authorities are being furnished which is taken very seriously by the competent authority in light of CCS(CCA) Conduct Rules.

Hence, it is advised to officials of DAO/DA cadre to take prior permission of sell/purchase of immovable property under relevant rules otherwise strict action against the erring officials of DAO/DA cadre under the provisions of CCS (CCA) Conduct Rules may be initiated.

उपमहालेखाकार/प्रशासन

पत्रांक: 197/प्रशा0-II/ए0जी0यू0के0(ले0एवंहक0)/विविध/2025-26/I/967579/2025
दिनांक:07-05-2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सचिव, कार्यालय महालेखाकार (ले0एवं हक0), उत्तराखंड, देहरादून।
2. प्रभारी, वरि0 उपमहालेखाकार प्रकोष्ठ, स्थानीय।
3. समस्त खंडीय लेखाधिकारी/लेखाकार संवर्ग, कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट एवं आधिकारिक व्हाट्सपप ग्रुप के माध्यम से।
4. वरि0 लेखाधिकारी/आई0टी0एस0जी0, कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के डी0ए0 कॉर्नर पर अपलोड करने हेतु।
5. सूचना पट्ट।

वारं० लेखाधिकारी/प्रशासन-॥